षोडश माला, खंड 7, अंक 6 शनिवार, 28 फरवरी, 2015
9 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में 1 से 9 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2015 / 1936 (शक)
अंक 6, शनिवार, 28 फरवरी, 2015 / 9 फाल्गुन, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
सामान्य बजट (2015-16) श्री अरुण जेटली	**6-48**
अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के बारे में विवरण श्री अरुण जेटली	**49**
वृहद आर्थिक रूपरेखा, मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति और राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण **श्री अरुण जेटली**	**50**
वित्त विधेयक, 2015	**51**
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	**52**

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के. एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शनिवार, 28 फरवरी, 2015 / 9 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

सामान्य बजट (2015-16)[1]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद सं. 1, श्री अरुण जेटली सामान्य बजट पेश करेंगे।

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2015-16 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं यह बजट एक ऐसे आर्थिक माहौल में प्रस्तुत कर रहा हूं जो अभी हाल ही में बीते दिनों के आर्थिक माहौल की तुलना में अधिक सकारात्मक है। जबकि विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वहीं भारत एक बार फिर से विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने वैश्विक आर्थिक विकास के संबंध में अपना पहले किया गया पूर्वानुमान 0.3% कम कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने, विश्व व्यापार विकास का अपना पूर्वानुमान 5.3% से घटाकर 4% कर दिया है। तथापि भारत के संबंध में पहले लगाया पूर्वानुमान या तो बढ़ा दिया गया है या उसमें कोई कमी किए बिना, उसे पूर्व के स्तर पर ही रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्यों को भी समान भागीदार के रूप में सम्मिलित किया है। राज्यों को आर्थिक रूप से इतना अधिक सशक्त बनाया गया है जितना पहले कभी नहीं बनाया गया था। मुझे विश्वास है कि केंद्र अथवा राज्य सरकारों में से किसी के भी द्वारा किए गए व्यय का प्रत्येक रुपया देश में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास का पथ प्रशस्त करके, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान करेगा।

पिछले नौ महीनों के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एन.डी.ए. सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास की गति में तेजी लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था

[1] ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल टी 1843/16/15

की विश्वसनीयता फिर से स्थापित हो गई है। दुनिया भविष्यवाणी कर रही है कि यह भारत के उड़ान भरने का मौका है।

कुछ तो फूल खिलाए हमने, और कुछ फूल खिलाने हैं
मुश्किल यह है बाग में अब तक, कांटे कई पुराने हैं।

हालांकि केंद्रीय बजट अनिवार्य रूप से लोक वित्त का लेखा विवरण है, किंतु पारंपरिक रूप से यह भारत की आर्थिक नीति की दिशा और गति की रूपरेखा बताने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। अत: मेरे प्रस्तावों में विकास की गति को तीव्रतर बनाने, निवेश में वृद्धि करने, निवेश में और विकास प्रक्रिया के फायदे को देश के आम आदमी, महिला, युवा और बच्चों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इनके जीवन-स्तर में सुधार किया जाना है। यह वह पथ है जिस पर हम पूरे इरादे से और बिना रुके चलते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने भी अक्सर कहा है कि हमारी सरकार चौबीसों घंटे और पूरे वर्ष काम करने वाली सरकार है।

महोदया, मैं देश में हमारी सरकार द्वारा कामकाज शुरू किए जाने के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का जिक्र करना चाहता हूं। नवंबर, 2012 मे सी.पी.आई. मुद्रास्फीति 11.2 प्रतिशत थी, 2013-14 की पहली तिमाही तक चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत पर पहुंच गया था तथा मार्च, 2014 तक सामान्य विदेशी निवेश अंतर्वाह 15 बिलियन अमरीकी डालर था। अगर मैं ऐसा कहता हूं, तो हमें विरासत में कयामत और निराशा की भावना मिली, और निवेशक समुदाय ने हमें लगभग खारिज कर दिया था।

तब से, हमने एक लंबी दूरी तय की है। नवीनतम सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर 5.1 प्रतिशत तथा थोक मूल्य मुद्रास्फीति ऋणात्मक स्तर पर है; इस वर्ष चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.3 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है; नई श्रृंखला के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.4 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है जिससे भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही विशाल अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अप्रैल, 2014 के बाद से देश में लगभग 55 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश अंतर्वाह हुआ है जिससे

हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 40 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। रुपया विश्व के प्रमुख देशों की मुद्राओं की तुलना में पहले से 6.4 प्रतिशत अधिक मजबूत हुआ है। हमारा पूंजी बाजार विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में दूसरा सबसे अच्छा निष्पादन करने वाला बाजार था। संक्षेप में, माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी अर्थव्यवस्था में नाटकीय ढंग से आमूल-चूल बदलाव आया है। हमने अपने बृहत-आर्थिक स्थायित्व को फिर से प्राप्त किया है तथा स्थायी तौर पर गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और दो अंकों में संपोषणीय आर्थिक विकास संबंधी परिस्थितियां उत्पन्न की है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशक हमारी ओर नए हित और आशा के साथ देख रहे हैं।

चुनौतियों के प्रति सचेत रहते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदया, यह हमें आशावादी महसूस करने का कारण देता है। अपने आदेश पर पूरी विनम्रता के साथ, मैं निवेदन करता हूं कि यह अवसर इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने इसे बनाया है। भारत की जनता ने शीघ्र बदलाव, तीव्र विकास और उच्चतम स्तर की पारदिर्शता को स्थापित करने के लिए हमें सत्ता सौंपी है। जनता चाहती थी कि देश से घोटाला, स्कैंडल और भ्रष्टाचार का राज समाप्त हो। वह ऐसी सरकार चाहती थी जिस पर वह विश्वास कर सके। हम उस विश्वास पर खरे उतरे हैं।

हमारे कार्य मूल अथवा वृहत्-आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन; वित्तीय समावेशन; आम आदमी के स्वास्थ्य और स्वच्छता; लड़कियों और उनकी शिक्षा; युवाओं के लिए रोजगार; बेहतर और गैर-विरोधी कर प्रशासन; लाभों का प्रभावी परिदान; निवेश और रोजगार सृजन; श्रम का कल्याण; कृषि उत्पादकता और बढ़ती कृषि आय; बिजली; डिजिटल कनेक्टिविटी; हमारे युवाओं को कौशल प्रदान करना; हमारी सरकार में कुशल और बेहतर कार्य संस्कृति; व्यावसायिक सुगमता; उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्यधारा में लाना; और, राष्ट्र और संस्कृति में अपने गौरव को पुनर्जीवित करना। मैं इस भाषण के अनुबंध में विवरण दे रहा हूं, जो सभा पटल पर रखे गए थे।

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे द्वारा किए गए कार्यों में से मैं तीन उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारी सरकार की विशेषता और दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। पहली उपलब्धि जन धन योजना की सफलता

है। वित्तीय समावेशन के बारे में दशकों से बातें की जा रही हैं। किसने सोचा होगा कि 100 दिनों की अल्प-अवधि में, 12.5 करोड़ से अधिक परिवार वित्तीय मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे? दूसरी उपलब्धि कोयला नीलामियां रहीं। पहले राज्यों को केवल रायल्टी के लाभ मिलते थे। अब हम जो पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया चला रहे हैं, उससे कोयला धारक राज्यों को कई लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जिनका उपयोग वे लंबे समय से प्रतीक्षित सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और अपने लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं।

तीसरा 'स्वच्छ भारत' है जिसे हम भारत को पुनर्जीवित करने के लिए एक आंदोलन में बदलने में सक्षम हुए हैं। उदाहरण के लिए, मैं, 2014-15 में निर्मित 50 लाख शौचालयों की बात करता हूं और मैं, इस महान सभा के सदस्यों को आश्वस्त भी करता हूँ कि हम छह करोड़ शौचालयों का निर्माण कार्य करने के लक्ष्य को, वास्तव में, प्राप्त कर लेंगे। महोदया, स्वच्छ भारत केवल स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्यक्रम नहीं है बल्कि दूरदर्शिता से देखा जाए तो यह एक निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरुकता निर्माण कार्यक्रम है।

हमने अब आर्थिक परिस्थितियों को अत्यधिक बेहतर बनाने के लिए दो सुधार कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। ये वस्तु एवं सेवा कर और प्रसुविधाओं के प्रत्यक्ष अंतरण के क्रियान्वयन के लिए आर्थिक समीक्षा में वर्णित त्रिसूत्री योजनाएं, जन धन, आधार और मोबाइल हैं। 1 अप्रैल, 2016 तक वस्तु एवं सेवा कर से अत्याधुनिक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आएगी। ये त्रिसूत्री सुविधाएं हमें क्षतिरहित, सुलक्षित और नकदी रहित तरीके से प्रसुविधाओं का अंतरण कर सकेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मुद्रास्फीति पर विजय प्राप्त करना मेरी सरकार की उपलब्धियों में से एक रही है। मेरे विचार से, मंहगाई में यह कमी संरचनात्मक परिवर्तन को परिलक्षित करती है। हमें आशा है कि आगे चलकर, इस वर्ष की समाप्ति पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रीस्फीति लभगभ 5 प्रतिशत रहेगी। इससे मौद्रिक नीति को और सहज बनाया जा सकेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति पर हमारी जीत संस्थानिक है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति रूपरेखा करार किया है। मैंने, 2014-15 के बजट भाषण में इसका वादा किया था। इस

रूपरेखा में मुद्रास्फीति को 6 प्रतिशत से नीचे रखने के लक्ष्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मौद्रिक नीति समिति का गठन करने के लिए, हम, इस वर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, हाल ही में, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नई श्रृंखला जारी की है। इस नई श्रृंखला में पुरानी श्रृंखला की तुलना में कई बदलाव किये गए हैं। नई श्रृंखला के आधार पर, 2014-15 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमति विकास दर 7.4 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 में, विकास दर 8 और 8.5% के बीच रहने की उम्मीद है। दो अंकीय विकास दर हासिल करने का लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा होता दिखाई दे रहा है।

मैं, अब, हमारे सामने जो कार्य हैं उनका जिक्र करता हूँ। सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के संबंध में, अब दशकों से, हमने प्रतिशत और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में काम किया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं भी वृद्धिशील परिवर्तन होने नहीं जा रहे हैं। हमें बड़े परिवर्तन के बारे में विचार करना होगा।

वर्ष 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर *अमृत महोत्सव* का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शन और राज्य सरकारों के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित 'टीम इंडिया' के विजन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(एक) भारत में प्रत्येक परिवार के लिए घर हो। 2022 तक 'सबके लिए घर' के लिए टीम इंडिया को शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ घरों का निर्माण करने की आवश्यकता होगी।

(दो) देश के प्रत्येक घर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, शौचालय जैसी मूल सुविधाएं होनी चाहिए और वह सड़क से जुड़ा हो।

(तीन) प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य की आजीविका के साधनों और रोजगार अथवा आर्थिक अवसर तक पहुँच होनी चाहिए ताकि वह अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सके।

(चार) गरीबी में पर्याप्त कमी लायी जाए। हमारी सभी स्कीमें गरीबों पर केन्द्रित होनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के इस कार्य के लिए हममें से प्रत्येक को स्वयं प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

(पांच) देश में शेष 20,000 गांवों का 2020 तक विद्युतीकरण किया जाए। इसमें ऑफ-ग्रिड सौर विद्युत उत्पादन शामिल है।

(छह) सड़क मार्ग से न जुड़ी 1,78,000 बस्तियों में से प्रत्येक को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। इसके लिए वर्तमान में निर्माणाधीन 1,00,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने और अन्य 1,00,000 किलोमीटर की सड़क की मंजूरी और निर्माण की आवश्यकता होगी।

(सात) जीवन की गुणवत्ता और व्यक्ति की उत्पादकता और अपने परिवार का भरण-पोषण करने की क्षमता दोनों के लिए अच्छा स्वास्थ्य एक आवश्यकता है। प्रत्येक गाँव और शहर में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना नितांत आवश्यक है।

(आठ) अपने युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें शिक्षित करना और कौशल संपन्न बनाना एक ऐसी वेदी है जिसके सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे के लिए 5 कि.मी. के भीतर एक सीनियर सेकेन्डरी स्कूल हो, हमें 80,000 माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन करने तथा अन्य 75,000 जूनियर/मिडल स्तर तक के विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्तर तक करने की आवश्यकता है। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में गुणवत्ता तथा शिक्षण परिणामों की दृष्टि से सुधार हो।

(नौ) ग्रमीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि उपजों के लिए वाजिब दाम प्राप्त होना आवश्यक है। हमें सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाने, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की क्षमता में सुधार लाने तथा मूल्य वर्धन और कृषि से होने वाली आय में वृद्धि करने तथा कृषि उत्पादों के लिए उचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

(दस) संचार की दृष्टि से, गांवों और शहरों के बीच भेद हमें अब स्वीकार्य नहीं है। हमें भेदभाव के बगैर सभी गांवों में संचार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(ग्यारह) हमारी दो-तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम आयु वालों की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे युवाओं को उचित रोजगार प्राप्त हो, हमें, भारत को दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य को लेकर चलना होगा। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं।

(बारह) हमें भारत में उद्यमशीलता की भावना को भी प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है तथा नए उद्योग को शुरू करने में सहायता करनी है। इस प्रकार, हमारे युवा रोजगार तलाशने वालों के स्थान पर रोजगार देने वाले बन जाएंगे।

(तेरह) हमारे देश के पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कई मोर्चों पर विकास में पिछड़ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे भी देश के शेष भागों के समतुल्य हों।

भारतीय स्वतंत्रता की 75$^{वीं}$ वर्षगांठ तक, हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव करीब पहुंच चुका होगा। हमें उपर्युक्त सभी लक्ष्य प्राप्त करने हैं ताकि भारत एक समृद्ध राष्ट्र के साथ-साथ एक परोपकारी विश्व शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके। अपने स्वतंत्रता सेनानियों को यह हमारी सच्ची श्रृद्धांजलि होगी।

<u>आने वाली बडी चुनौतियां</u>

यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि चुनौतियों को लेकर मैं भी चिंतित हूं। मेरे विचार से पांच मुख्य चुनौतियां हैं। सबसे पहले, कृषि आय दबाव में है। हमारी दूसरी चिन्ता है अवसंरचना में निवेश बढ़ाना। सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से अवसंरचना में निवेश की स्थिति अभी भी खराब है, निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए, सरकारी क्षेत्र को कदम उठाने की आवश्यकता है।

हमारी तीसरी बड़ी चुनौती यह है कि नए सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद के 18 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत हो गया है और विनिर्माण निर्यात सकल घरेलू उत्पाद के

लगभग 10 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य इस चुनौती का सामना करना है, इस प्रकार रोजगार पैदा करना है।

चौथी चुनौती यह है कि हमें सरकारी निवेश के लिए बढ़ती मांगों के बावजूद राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकारी संघवाद की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए, हमने करों के विभाज्य कोष (पूल) का 42% हिस्सा राज्यों को अंतरित करना स्वीकार कर लिया है। जैसा कि महान सभा के सदस्यों को पता ही है कि यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है। इससे राज्यों को अधिक संसाधन मिलने से वे सशक्त हो जाएंगे। राज्यों को 2014-15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3.38 लाख करोड़ रुपये के अंतरण की तुलना में, 2015-16 में यह अंतरण 5.24 लाख करोड़ रुपये होगा। अनुदानों और आयोजनागत राशि के अंतरण के रूप में 3.04 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अंतरित की जाएगी। इस प्रकार, राज्यों को कुल हस्तांतरण देश की कुल कर प्राप्तियों का लगभग 62 प्रतिशत होगा। अगर केन्द्र और राज्यों का टैक्स रेवेन्यू जोड़ लिया जाए तो अब 62 फीसदी राज्यों के पास होगा और 38 फीसदी केन्द्र के पास होगा।

केंद्र के लिए घटती परिणामी राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद, सरकार ने सड़कों सहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, ग्रामीण अवसंरचना जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सहायता जारी रखने का निश्चय किया है। गरीबों और उपेक्षित लोगों के उद्देश्य से बनाए गए कार्यक्रम जारी रहेंगे।

अपनी राजकोषीय स्थिति में न केवल गिरावट आयी है अपितु यह प्रायः खत्म सी हो गयी है। मुझे राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने की पांचवी चुनौती का मुकाबला करना है। मुद्रास्फीति में कमी के कारण इस वर्ष आर्थिक विकास दर 11.5%, सांकेतिक रूप से लगभग 2% कम है। परिणामतः, कर में उछाल भी काफी कम रहा। महोदया, इसके बावजूद, मैने अपना वचन पूरा किया है, और हम विरासत में प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% के राजकोषीय घाटे के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे गरीबी में कमी लाने और उसे दूर करने के लिए इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है।

राजकोषीय रोडमैप

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मेरी सरकार अभी भी सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने पर दृढ़ है। मध्यावधिक लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के प्रति कृत संकल्प है। किंतु इस प्रयास में सरकारी निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा। सं०अ० से कुल अतिरिक्त सरकारी निवेश 1.25 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें से 70,000 करोड़ रुपये बजटीय परिव्यय से पूंजीगत व्यय होगा। हमें अत्यधिक घट गई राजकोषीय गुंजाइश, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं; और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण पड़ने वाले संभावित बोझ पर भी विचार करना होगा। मेरे विचार में, राजकोषीय समेकन हेतु चक्रीय तौर पर पूर्व निर्धारित समय सारणी की जल्दबाजी अथवा इस पर बल देना विकास के पक्ष में नहीं होगा। अर्थव्यवस्था सुधारों के साथ राजकोषीय समेकन की गति में तेजी लाने का दबाव कम हो गया है। इन परिस्थितियों में, मैं 3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पहले से परिकल्पित दो वर्षों के बजाय 3 वर्षों में पूरा करूंगा। इस प्रकार, अगले तीन वर्षों के लिए मेरे लक्ष्य हैं: 2015-16 के लिए 3.9 प्रतिशत; 2016-17 के लिए 3.5 प्रतिशत; और 2017-18 के लिए 3.0 प्रतिशत। अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश में अवसंरचना में निवेश के वित्तपोषण हेतु प्रयोग में लायी जाएगी।

तदनुसार, मैं, एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के प्रति वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक आशावादी टिप्पणी के साथ राजकोषीय रूपरेखा पर विचार-विमर्श को विराम देना चाहता हूं। जबकि संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, किंतु रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और संरचना निर्माण की समग्र स्थिति निर्बाध रही है; वस्तुतः यह स्थिति इस वर्ष और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में जारी रहेगी क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर राजस्व में इजाफा होगा। लोक वित्त के इस राष्ट्रीय

परिप्रेक्ष्य से, न केवल राजकोषीय समेकन की गाड़ी पटरी पर है अपितु इससे समग्र रूप में सरकारों के कुल सरकारी व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद की जा सकती है।

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : अगर आप बैठकर पढ़ना चाहें तो बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री अरूण जेटली: चूंकि मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं निश्चित रूप से इसके लिए अनुरोध करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह ध्यान दिया जा सकता है कि बजट, विनिवेश के आंकड़ों में काफी वृद्धि को दर्शाता है। इसमें घाटे में चल रही इकाइयों में विनिवेश और कुछ रणनीतिक विनिवेश दोनों शामिल होंगे।

<u>सुशासन</u>

अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार भारतीय के रूप में अपने संकल्प में एक न्यायप्रिय तथा अनुकंपा से परिपूर्ण देश के रूप में अपने पूर्व के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। विगत में अच्छे इरादों के साथ प्रारंभ की गई स्कीमें प्रायः अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं, कमियों के जाल में उलझ गई हैं और इन पर अक्षमता का ठप्पा लग गया है। यही स्थिति सब्सिडियों की भी है। सब्सिडियों की जरुरत गरीबों और वंचितों के लिए होती है। हमें सब्सिडी सुपुर्दगी की सुलक्षित प्रणाली की आवश्यकता है। हमें सब्सिडी क्षतियों को कम करने की आवश्यकता है न कि सब्सिडियों को ही समाप्त करने की। हम, इस दृष्टिकोण पर आधारित सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम उस पथ पर चल पड़े हैं। अधिकतर छात्रवृत्ति स्कीमों में शुरू किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों की मौजूदा संख्या 1 करोड़ से बढ़कर 10.3 करोड़ करने के लिए इसका और विस्तार किया जाएगा। इसी प्रकार, 11.5 करोड़ एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को 6,335 करोड़ का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति बेहतर हैं, जैसे कि शीर्ष कर वर्ग के लोग, और जो वास्तव में गरीबों के कल्याण के लिए चिंतित हैं, जैसे कि इस सदन के सदस्य, स्वेच्छा से अपनी एल.पी.जी. सब्सिडी छोड़ देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस

सदन के सदस्यों जैसे शीर्ष कर वर्ग वाले धनी व्यक्ति और जो वास्तव में गरीब व्यक्तियों के कल्याण के प्रति वस्तुतः चिंतित हैं, स्वेच्छा से अपनी एल.पी.जी. सब्सिडी छोड़ देंगे।

कृषि

हमारे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हमने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण दो बड़े कारकों अर्थात् मिट्टी और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए हैं। सतत आधार पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए, महत्वाकांक्षी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड स्कीम शुरू की गई है। मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, मैं कृषि मंत्रालय की परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्तपोषण और पूर्ण सहायता का भी प्रस्ताव करता हूं। प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई करने और जल घर दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनायी गयी है। मैं सूक्ष्म सिंचाई, जलसंभर विकास और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु 5,300 करोड़ रुपये आबंटित कर रहा हूं। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर सहयोग दें।

छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायत से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए।
मैं 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की निधियों में 25,000 करोड़ रुपये; दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में 15,000 करोड़ रुपये; अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु 45,000 करोड़ रुपये; और अल्पावधिक आर.आर.बी. पुनर्वित्त निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।

कृषि ऋण हमारे मेहनतकश किसानों के प्रयासों को सहारा देते हैं। इसलिए मैंने 2015-16 के दौरान 8.5 लाख करोड़ रुपये के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक यह लक्ष्य पार कर लेंगे।

हमारी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार में मदद करने के प्रति वचनबद्ध है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। हम मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। मैंने इस कार्यक्रम के लिए 34,699 करोड़ रुपये का आरंभिक आबंटन किया है।

हालांकि, किसान अब स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं है परंतु उसके उत्पाद को अभी भी सर्वोत्तम राष्ट्रीय कीमत नहीं मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित करें जिससे मूल्य वृद्धियों को कम करने के अनुषंगी लाभ होंगे। मेरा इरादा इस वर्ष एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण के लिए नीति में राज्यों के साथ काम करने का है।

<u>गैर-वित्तपोषित को वित्तपोषित करना</u>

माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास से समावेशी विकास होगा। जबकि बड़े कारपोरेट और कारोबारी कंपनियों को भूमिका निभानी है। इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संपूरित करना होगा। लगभग 5.77 करोड़ छोटी व्यावसायिक इकाइयाँ हैं, जिनमें से ज्यादातर व्यक्तिगत स्वामित्व वाली हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापार या सेवा व्यवसाय चलाती हैं। इनमें 62% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में है। ये पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं। ये मेहनतकश उद्यमी असंभव तो नहीं, पर मुश्किल से ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक पहुंच पाते हैं। मैं, इसलिए, 20,000 करोड़ की निधि और 3,000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक सृजित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से सूक्ष्म वित्त संस्थानों को पुनर्वित्त करेगा। ऋण देने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन उपायों से हमारे युवा, शिक्षित या कुशल श्रमिकों का विश्वास बढ़ेगा, जो अब पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा रख सकेंगे; मौजूदा छोटे व्यवसाय भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे। जिस तरह हम गैर-बैंकिंग लोगों के लिए बैंकिंग कर रहे हैं, उसी तरह हम गैर-वित्त पोषित लोगों को भी धन दे रहे हैं।

एम.एस.एम.ई. की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लंबे प्राप्य प्राप्ति चक्रों के कारण उत्पन्न होता है। हम ट्रेड डिस्काउटिंग सिस्टम (ट्रेडस) की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं जो बहुविध फाइनेंसरों के जरिए कारपोरेट और अन्य क्रेताओं से एम.एस.एम.ई. के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण सुसाध्य बनाने के लिए इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म होगा। यह महत्वपूर्ण रूप से इस उद्यम क्षेत्र में नकदी में सुधार लाएगा।

दिवालियापन कानून सुधार, जो कानूनी निश्चितता और गति लाता है, को व्यवसाय करने में आसानी में सुधार के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। एस.आई.सी.ए. (बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम) और बी.आई.एफ.आर. (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। हम वित्त वर्ष 2015-16 में विस्तृत दिवालियापन कोड लाएंगे जो वैश्विक मानक पूरे करेगा और आवश्यक न्याय क्षमता की व्यवस्था करेगा।

सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। इस संदर्भ में, सरकार देश भर में फैले सभी गांवों में मौजूद, 1,54,000 स्थानों पर विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करना चाहती है। मुझे आशा है कि डाक विभाग अपने उद्यम से भुगतान बैंक को सफल बनाएंगे ताकि यह प्रधान मंत्री जन धन योजना में और योगदान कर सके। इससे सारे पोस्टऑफिसेज बैंकिंग काम में इनवाल्व कर लिए जाएंगे।

समुत्थान से संबंधित मामलों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनयों (एन.बी.एफ.सी.) की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विनियमन में समानता लाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति आधार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार "वित्तीय संस्था" के तौर पर अधिसूचनाओं हेतु विचार किया जा सकेगा।

<u>जन धन से जन सुरक्षा तक</u>

भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य, दुर्घटना या जीवन बीमा के बगैर ही है। दुःखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधान मंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों के वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं।

शीघ्र शुरु की जाने वाली प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। एक रुपया प्रति महीना जो जन धन खाते से ट्रांसफर होगा, उससे दो लाख रुपये की एक्सीडेंट इंश्योरेंस हर गरीब आदमी को मिलेगी। इसी तरह, हम अटल पेंशन योजना को शुरू करेंगे, यह अंशदान की अवधि पर निर्भर रहते हुए एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नए खातों में पांच वर्ष के लिए 1,000 रुपए प्रति वर्ष तक सीमित, लाभार्थियों के प्रीमियम के 50 प्रतिशत का अंशनदान करेगी। इसकी डिटेल्स आज सार्वजनिक की जाएंगी, हर महीने कोई गरीब आदमी कंट्रीब्यूट करे, उसमें से आधा सरकार देगी और 60 साल की उम्र से उसे पेंशन मिलनी आरम्भ होगी।

तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं वह है प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह 2 लाख रुपए नैसर्गिक मृत्यु और दुर्घटना जोखिम को कवर करेगी। आयु समूह 18-50 के लिए प्रमियम 330 रुपए प्रतिवर्ष अथवा एक रुपये प्रतिदिन से कम होगा।

महोदया, पी.पी.एफ. में लगभग 3,000 करोड़ रुपए और ई.पी.एफ. निधि में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बिना दावे की जमा राशियां पड़ी मैंने वित्त विधेयक में इन राशियों को एक कोष में विनियोजित करने के लिए एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव किया है, जो वृद्धावस्था पेंशनभोगियों, बी.पी.एल. कार्ड धारकों, छोटे और सीमांत किसानों और अन्य कमजोर समूहों के प्रीमियम पर सब्सिडी देगा। इस वर्ष मार्च में एक विस्तृत योजना जारी की जाएगी।

माननीय महोदया, इस बीच, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या को भी विशेष सम्मान दिए जाने की जरूरत है, जिनकी संख्या लगभग 10.5 करोड़ है और इनमें से एक करोड़ से ज्यादा 80 वर्ष से ऊपर वाले हैं। इनमें 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी बड़ी संख्या बी.पी.एल. श्रेणी वालों की है। इनका काफी बड़ा प्रतिशत बड़ी उम्र से जुड़ी विकलांगताओं से भी पीड़ित है। हमारा ऐसा समाज है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके गरीबी रेखा से नीचे

रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायता जीवन साधन उपलब्ध कराने की नई स्कीम शुरू की जाए।

संक्षेप में ये सामाजिक सुरक्षा स्कीमें जन धन प्लेटफार्म का उपयोग करने में हमारी वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शाती हैं कि किसी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था में अभाव की चिंता न करनी पड़े। गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों की जरुरतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए चल रही कल्याण योजनाओं के प्रति भी वचनबद्ध है। मैं इन कार्यक्रमों हेतु निम्नानुसार आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं:

अनुसूचित जाति	30,851 करोड़ रुपये
अनुसूचित जनजाति	19,980 करोड़ रुपये
महिला	79,258 करोड़ रुपये

इस वर्ष 'नई मंजिल' नामक एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका योजना शुरू की जाएगी, ताकि जिन अल्पसंख्यक युवाओं के पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है, वे इसे प्राप्त कर सकें और बेहतर रोजगार पा सकें। इसके अलावा, पारसियों की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए, भारत सरकार 'द एवरलास्टिंग फ्लेम' नामक एक प्रदर्शनी का समर्थन करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आबंटन की रक्षा की जा रही है। वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान 3,738 करोड़ रुपये है।

<u>अवसंरचना</u>

महोदया, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विगत दशक में मुख्य चूक अवसंरचना के मोर्चे पर हुई है। हमारी अवसंरचना हमारी विकास महत्वकांक्षा के अनुरूप नहीं है। तत्काल सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने की भारी आवश्यकता है। इसलिए, मैंने सड़कों पर परिव्यय और रेलवे दोनों के लिए सकल बजटीय समर्थन में क्रमशः 14,031 करोड़ रुपये और 10,050 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पूंजी व्यय

3,17,889 करोड़ रुपये होना अनुमानित है, इसमें संशोधन अनुमान 2014-15 से लगभग 80,844 करोड़ रुपये की वृद्धि है। वस्तुतः अवसंरचना में सभी निवेश वर्ष 2015-16 में 2014-15 के मुकाबले सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों के केंद्र की निधियों और संसाधनों से 70,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएंगे। लेकिन महोदया, हमें 70,000 करोड़ रुपये से भी अधिक निवेश की आवश्यकता है।

दूसरा, मैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करना और इसमें 20,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए धन प्राप्त करना चाहता हूं। सरकार 20,000 करोड़ रुपये देगी। इससे यह ट्रस्ट बदले में ऋण जुटाने और भारतीय रेल वित्त निगम और एन.एच.बी. जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों में इक्विटी के रूप में निवेश कर सकेगा। बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां तब इस अतिरिक्त इक्विटी का कई गुना लाभ उठा सकती हैं। तीसरी, मैं, रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बॉन्ड को जारी करने की भी अनुमति देना चाहता हूं। चौथा, अवसंरचना विकास के सरकारी निजी भागीदारी मोड की समीक्षा करना एवं पुनर्जीवित करना है। इसमें शामिल प्रमुख मुद्रा है जोखिम को पुनर्संतुलित करना। अवसंरचना परियोजनाओं में, सरकार को निःसंदेह इसको पूर्ण रूपेण आत्मसात किए बगैर जोखिम के बड़े भाग को वहन करना होगा।

पांचवां, मैं नीति में अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना करना चाहता हूं। अटल नवोन्मेष मिशन एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा। इसमें शिक्षाविदों को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को आकर्षित करेगा। यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में दोहराव के लिए श्रेष्ठ परंपराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की जाएगी।

भारत के पास सुप्रतिष्ठित और विश्वस्तरीय आईटी उद्योग है। इसके पास लगभग 150 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व, 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निर्यात होता है, सीधे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम इन्हें आरंभ करने में अधिक रुचि देख रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग, विचारों से मूल्यों का सृजन करना और उन्हें कार्यक्रमों एवं अरोह उद्यमों में बदलना तथा कारोबार हमारे युवा

कार्य में लगाने और हमारे देश का समावेशी एवं स्थायी विकास करना हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों में इन्क्यूबेशन सुविधाएं, बीज पूंजी और विकास के लिए वित्तपोषण और व्यापार करने में आसानी आदि जैसी चिंताओं को लाखों नौकरियां और सैकड़ों अरब डॉलर के मूल्य के सृजन के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य के साथ सरकार सेतु (स्व-रोजगार और प्रतिभा का उपयोग) नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक औद्योगिकीय वित्तीय उद्भवन होगा और अन्य स्व-रोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं की सहायता करने हेतु सहायता कार्यक्रम होगा। मैं इस उद्देश्य के लिए शुरू में नीति आयोग में 1,000 करोड़ रुपये अलग रख रहा हूं।

चूंकि लघु पत्तनों से सफलता दिखायी दी है, निजी क्षेत्र के लिए पत्तन आकर्षक निवेश संभावना बन सकते हैं। पत्तनों को निजी क्षेत्र में ऐसा निवेश जुटाने तथा उनके पास अप्रयुक्त पड़े भू-संसाधनों का उत्थान करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए, निजी क्षेत्र के पत्तनों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित होने और कंपनियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, निवेशक आवश्यक कई अनुमतियाँ प्राप्त करने में बड़ी मात्रा में समय और संसाधन खर्च करते हैं। हमारा लक्ष्य भारत में कारोबार को आसान बनाना है। मैंने स्वयं ई-बिज पोर्टल लॉन्च किया है जो एक स्रोत पर 14 नियामक अनुमतियों को एकीकृत करता है। अच्छे राज्य इस मंच को अपना रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। हालाँकि, यदि हम वास्तव में रोजगार पैदा करना चाहते हैं, तो हमें भारत को एक निवेश गंतव्य बनाना होगा जो सार्वजनिक रूप से बताए गए दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार एक व्यवसाय की शुरुआत की अनुमति देता है। आज परमीशन में ही सालों-साल लग जाते हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं होते।

मैं, इस प्रयोजन के लिए संभावना की जांच करने और विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना चाहता हूँ, जहाँ कई पूर्वानुमतियों को पहले से ही मौजूद विनियामक तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित

किया जा सके। आपके रेग्युलेटरी मेकेनिज्म में गाइडलाइंस होंगी, उसके मुताबिक काम शुरू कीजिए, प्रायर परमीशन का यह सबस्टीट्यूट होगा।

सरकार ने प्लग-एंड-प्ले मोड में 4000 मेगावाट की 5 नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। पारदर्शी नीलामी पद्धति के द्वारा परियोजना के कार्य पर संविदा दिया जाने से पूर्व सभी तरह की मंजूरियां क्रियान्वित की जाएंगी। इसे 1 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश खोलना चाहिए। इस प्रयास की सफलता के आधार पर, सरकार, सड़क, पत्तनों, रेल लाइनों, हवाई अड्डों आदि जैसी अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में इस प्रकार की प्लग-एण्ड-प्ले परियोजनाओं पर भी विचार करेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुडनकुलम न्यूक्लीयर विद्युत केन्द्र की दूसरी यूनिट 2015-16 में चालू हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं, वर्ष के दौरान कर उछाल से कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आशा करता हूं। यदि मैं सफल रहा, तो मैंने बजट आबंटन में जो प्रावधान किया है, उसके अलावा मैं मनरेगा के लिए आबंटन को 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रयास करूंगा; मैडम स्पीकर, खड़गे साहब बहुत प्रसन्न होंगे। इसमें दो विशेषताएं होंगी। इससे इस वर्ष का आबंटन मनरेगा में अब तक का सबसे अधिक होगा। सबसे आधिक होगी और उसके साथ-साथ जो रूरल वेजिज़ कम हो रहे हैं, उन्हें बढ़ाने में भी यह लाभदायक होगी। मैं एकीकृत बाल विकास स्कीम के लिए 1,500 करोड़ रुपये, एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये और एन.आई.आई.एफ. में 5,000 करोड़ रुपये के आरंभिक अंतर्वाह के लिए प्रयास करूंगा।

<u>वित्तीय बाजार</u>

भारत में अवसंरचना सेक्टर में निवेश प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारतीय बॉन्ड बाजार की गहनता है, जिसे हमें उसी स्तर पर लाना है जहां हमारा विश्वस्तरीय इक्विटी बाजार है। मैं, इस वर्ष लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करके, इस प्रक्रिया को शुरू करना चाहता हूं। इससे भारत का विदेशी उधार और घरेलू ऋण दोनों एक साथ आ जाएंगे।

मैं वायदा बाजार आयोग को सेबी में विलय करने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि वस्तु वायदा बाजारों का विनियमन मजबूत किया जा सके और अंधाधुंध सट्टेबाजी कम की जा सके। वित्त विधेयक, 2015 में, विधान को समर्थकारी बनाने, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

पूंजी लेखा नियंत्रण एक नीति है न कि विनियामक विषय। अतः, मैं वित्त विधेयक के जरिए फेमा की धारा 6 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जा सके कि इक्विटी की तरह ही पूंजी प्रवाहों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा।

समुचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण की भी जरूरत है। अतः मैं क्षेत्रीय तटस्थ वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए एक कार्य बल बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे सभा को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण, समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्य बल को सौंपे गए कार्यों में संतोषजनक प्रगति हो रही है। हमने भारतीय वित्त संहिता के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त किए हैं। इस समय, इनकी समीक्षा न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि देर-सबेर भारतीय वित्त संहिता को संसद में विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, यह तो मात्र शुरुआत है। मेरी निगाह प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने पर है, जी अंतराष्ट्रीय रूप से दरों के संबंध में प्रतिस्पर्धी है, इसके लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है, बचतों को प्रोत्साहित करना है और अंतरवर्तियों से कर की उगाही नहीं करता है। ऐसी प्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से जिस आधुनिकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कर रही हैं, उसके समरूप है और इससे अधिक पारदर्शिता आएगी तथा अधिक निवेश बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी भविष्य निधि खातों के संबंध में और कर्मचारी राज्य बीमा के दावा अनुपात को सभी भलीभांति जानते हैं। यहां उनका उल्लेख करना मात्र पुनरावृत्ति होगी। यह ध्यान देने योग्य है

कि ये दोनों संस्थाएं सेवाप्रदाता कम और कल्याणकारी अधिक हैं। इसके अलावा, न्यून वेतन वाले कामगारों की वेतन कटौतियों का प्रतिशत बेहतर वेतन पाने वाले कामगारों की वेतन कटौतियों की तुलना में अधिक है।

कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में, कर्मचारी को दो विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है। पहला, कर्मचारी स्वयं कर्मचारी भविष्य निधि या नई पेंशन स्कीम का विकल्प चुने। दूसरा, आरंभिक सीमा से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को घटाए या प्रभावित किए बिना, वैकल्पिक होना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में कर्मचारी को कर्मचारी राज्य बीमा या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.)) द्वारा मान्य कोई स्वास्थ्य बीमा उत्पाद चुनने का विकल्प होना चाहिए। सभी सम्बद्ध पक्षों से विचार विमर्श के बाद, हम इस संबंध में कानून में संशोधन करना चाहते हैं।

<u>सोने का मुद्रीकरण</u>

भारत विश्व में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है तथा प्रतिवर्ष 800-1000 टन सोने का आयात करता है। यद्यपि, भारत में 20,000 टन से अधिक के स्वर्ण भंडार का अनुमान है लेकिन अधिकांशतः यह स्वर्ण न तो व्यापार में और न ही मुद्रीकरण में प्रयुक्त होता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

(एक) स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम जारी की जाए, जो वर्तमान स्वर्ण जमा और स्वर्ण धातु ऋण स्कीमों दोनों का स्थान लेगी। नई स्कीम सोना जमा कराने वाले व्यक्ति को उसके धातु खाते में ब्याज अर्जन तथा ज्वेलरों को उनके धातु खाते में ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगी। बैंक/अन्य डीलर भी स्वर्ण का मुद्रीकरण कर सकेंगे।

(दो) वैकल्पिक वित्तीय आस्ति, सरकारी स्वर्ण बॉन्ड का स्वर्ण धातु की खरीद के विकल्प के रूप में भी विकास करना होगा। इन बॉन्ड पर एक निश्चित ब्याज दर होगी और बॉन्ड के धारक को बॉन्ड मोचन के समय स्वर्ण के अंकित मूल्य के संदर्भ में नकद प्रतिदेय होंगे।

(तीन) भारतीय स्वर्ण सिक्का बनाने का काम शुरू करना, जिसके पटल पर अशोक चक्र बना होगा। इस प्रकार के भारतीय स्वर्ण सिक्कों से देश के बाहर बनाए गए सिक्कों की मांग में कमी आएगी और देश में उपलब्ध स्वर्ण में पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी।

काले धन के प्रवाह को रोकने का एक उपाय नकद होने वाले लेन-देनों को हतोत्साहित करना है। अब, अधिकतर भारतीयों के पास रूपे डेबिट कार्ड है या यह लिया जा सकता है। सभी जनधन खाताधारकों के पास रूपे डेबिट कार्ड होगा। इसलिए, मैं जल्द ही कई उपायों को पेश करने का प्रस्ताव करता हूं जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेनदेन को प्रोत्साहित करेंगे। और नकद लेनदेन को हतोत्साहित करेंगे।

निवेश

सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन अधिसूचित किए गए हैं। ऐसी वैकल्पिक निवेश निधियां घरेलू निवेशों को सुसाध्य बनाने के लिए अन्य साधन प्रदान करेंगी। सभी स्रोतों से निवेशों को बढ़ाने की जरूरत के मद्देनजर, मैं वैकल्पिक निवेश निधियों में विदेशी निवेशों की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने की प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए, मैं विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों, विशेष रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बीच के अंतर को दूर करने और उन्हें समग्र सीमा के साथ बदलने का प्रस्ताव करता हूं।

भारत सरकार की "एक्ट ईस्ट" नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया में सघन आर्थिक और कार्यनीतिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। इस क्षेत्र में भारतीय निजी सेक्टर से निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए, परियोजना विकास कंपनी सी.एम.एल.वी. देशों अर्थात् कम्बोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, पृथक विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से, विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करेगी।

सुरक्षित भारत

मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिला सुरक्षा, वकालत और जागरूकता के कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए, मैंने निर्भया कोष को और 1,000 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।

पर्यटन

भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर के 25 (पच्चीस) स्थल हैं। इनमें भूदृश्य बहाली, संकेत तथा भाषांतर केंद्र, पार्किंग, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगमन सुविधाएं; सुरक्षा और शौचालयों सहित आगन्तुकों हेतु सुख-सुविधाएं; तथा प्रकाशीकरण एवं उसके आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं आदि सुविधाओं की अभी भी पर्याप्त रूप से कमी है, और इनकी बहाली अपेक्षित है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रथा अगले वर्ष भी जारी रहेगी। मैं निम्नलिखित धरोहर स्थलों के लिए इन लाइनों के साथ काम शुरू करने के लिए संसाधन प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं:

(एक) पुराने गोवा के चर्च और कॉन्वेंट

(दो) हम्पी, कर्नाटक

(तीन) एलीफेन्टा गुफाएं, मुम्बई

(चार) राजस्थान में कुम्भलगढ़ और अन्य पहाड़ी किले

(पांच) रानी की वाव, पाटन, गुजरात

(छह) लेह पैलेस, लद्दाख, जम्मू कश्मीर

(सात) वाराणसी मंदिर टाउन, उत्तर प्रदेश

(आठ) जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब

(नौ) कुतुब शाही मकबरे, हैदराबाद, तेलंगाना

43 देशों के पर्यटक यात्रियों को जारी आगमन वीजा की सफलता के बाद, मैं इस सुविधा के अंतर्गत 150 देशों, को चरणों में, शामिल करना चाहता हूं। पिछले वर्ष, हमने 43 देशों में आगमन पर वीजा की घोषणा की थी। इस देश में पर्यटन बढ़ा है। मैं इस योजना के अंतर्गत आने वाले देशों को विभिन्न चरणों में 150 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।

ग्रीन इंडिया

महोदया, यह अच्छी तरह ज्ञात है कि पर्यावरणीय प्रदूषण अन्य लोगों की अपेक्षा गरीबों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए हम वचनबद्ध हैं कि हमारी समूची विकास प्रक्रिया जहां तक संभव हो हरी-भरी हो। "कार्बन टैक्स" अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जहां तक कोयले का संबंध है, हमें प्रदूषण पर कर लगाने और विद्युत मूल्यन के बीच एक बेहतर सन्तुलन तलाशने की जरूरत है। तथापि, इस वर्ष के आरम्भ में, मैं यह उपाय भी शुरू करना चाहता हूं। मेरी सरकार फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल्स वाहन (एफ.ए.एम.ई.) स्कीम भी आरंभ कर रही है। मैं, 2015-16 में इस स्कीम के लिए 75 करोड़ के आरंभिक परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अपना लक्ष्य संशोधित करके, 1,75,000 मेगावाट कर दिया है। इसमें सौर द्वारा 100,000 मेगावाट, पवन द्वारा 60,000 मेगावाट, बायोमॉस द्वारा 10,000 मेगावाट और लघु पन बिजली से 5000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता शामिल है।

अध्यक्ष महोदया, हमने, घोटालों, घपलों और भ्रष्टाचार राज को पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक प्रापण में कदाचार को एक अधिप्रापण कानून और एक संस्थागत ढांचा, जो अनसीटरल मॉडल के अनुरूप हो, लाकर रोक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि संसद को शीघ्र ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमें प्रापण कानून की जरूरत है और यदि हां, तो उसका आकार-प्रकार क्या हो?

दूसरी तरफ, सरकारी संविदाओं में उत्पन्न विवादों को सुलझाने में काफी समय लगता है, और उनके समाधान की प्रक्रिया भी काफी खर्चीली होती है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स अटके रहते हैं। ऐसे विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुसाध्य बनाने के लिए, मेरी सरकार ऐसे विवादों के समाधान हेतु

संस्थागत व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए सार्वजनिक संविदा (विवादों का समाधान) विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है।

मेरा मानना है कि अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में प्रचलित नियामक व्यवस्थाओं में भी आम दृष्टि और दर्शन के अभाव की समस्या से निपटने की भी आवश्यकता है। अतः, हमारी सरकार विनियामक सुधार विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है। इससे अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण बहाल किया जा सकेगा।

<u>स्किल इंडिया</u>

भारत विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से है। हमारे देश की कुल आबादी का 54% से भी अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। आवश्यक है कि हमारे युवा 21वीं शताब्दी की नौकरियों के लिए शिक्षित और रोजगार पर रखे जाने योग्य हों। प्रधानमंत्री ने बताया है कि किस प्रकार 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के बीच गहरा तालमेल बैठाया जा सकता है। आज भी हमारे सक्षम कार्यबल के 5% से भी कम को ऐसा औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो पाता है ताकि वे रोजगार पर रखे जाने योग्य हों और रोजगार में बने रह सकें।

हम शीघ्र ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जरिए एक राष्ट्रीय स्किल मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे कौशल संबंधी कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा तथा हमारी सभी 31 क्षेत्रीय कौशल परिषदों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण आबादी अभी भी भारत की आबादी का 70% के करीब है, ग्रामीण युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अनलॉक करने की कुंजी है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की है। इस स्कीम के लिए 1,500 करोड़ की राशि निश्चित की गयी है। वितरण एक डिजिटल वाउचर के माध्यम से सीधे योग्य छात्र के बैंक खाते में होगा।

इस वर्ष श्री दीन दयाल उपाध्याय का 100वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। सरकार इस महान राष्ट्रवादी के जन्म दिवस को ठीक से मनाना चाहती है। शीघ्र ही 100वें जन्म दिवस आयोजन समिति के गठन की घोषणा कर दी जाएगी तथा समारोह हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

सभी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अपनी पसंद की उच्च शिक्षा, बिना किसी धनाभाव का सामना किए प्राप्त कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए, मैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी छात्रवृत्तियों और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी युक्त छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जुलाई के बजट भाषण में, मैंने प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख केंद्रीय संस्थान उपलबध कराने की अपनी मंशा जाहिर की थी। [हिन्दी] मैडम, अगर कोई इसमें रह जाए तो साल के दौरान और बजट के बाद भी उसको कंसीडर कर लेंगे। [अनुवाद] मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्त वर्ष 2015-16 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जाए। बिहार में चिकित्सा विज्ञान को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जहांऑलरेडीएम्स है। मैं इस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अन्य संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं कर्नाटक में एक आई.आई.टी. स्थापित करने और इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को एक पूर्ण आई.आई.टी. में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं, अमृतसर में एक बागवानी अनुसंधान तथा शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। जम्मू-कश्मीर तथा आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जाएंगे। केरल में मैं, मौजूदा राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण संस्थान को निःशक्तता अध्ययन तथा पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं तीन नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिनमें से एक-एक संस्थान क्रमशः महाराष्ट्र राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा तथा नागालैंड और ओडिशा में एक-एक विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मैं उत्तर-पूर्वी राज्यों के

लिए अरुणाचल प्रदेश में फिल्म निर्माण, एनीमेशन और गेमिंग के लिए एक केंद्र स्थापित करने; और हरियाणा और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए, सरकार का विचार एक स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित करने का है। यह ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की तलाश और उनका चयन करेगा और अलग-अलग कार्यनीति तथा नवोन्मेश वित्तीय तरीकों और लिखतों के जरिये पूंजी जुटाने की योजनाएं तैयार करने में उनकी मदद करेगा। यह बैंकों के लिए नियंत्रक और निवेश कंपनी स्थापित करने की दिशा में एक आंतरिक कदम होगा।

डिजिटल इंडिया

अध्यक्ष महोदया, मैं, सभा को बताना चाहूंगा कि हम डिजिटल इंडिया तैयार करने की दिशा में सही प्रगति कर रहे हैं। 2.5 लाख गांवों को जोड़ने वाले 7.5 लाख किमी के राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान की जा रही है जिसके लिए इच्छुक राज्यों को इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिस पर आने वाले व्यय की दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, जिसने कार्यान्वयन के इस तरीके के लिए अपना विकल्प दिया है।

जैसा कि सदस्यगण जानते हैं, वित्त आयोग ने, अपनी सिफारिशें करते समय विशेष श्रेणी और अन्य राज्यों के बीच के भेद को खत्म कर दिया है। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल वित्त आयोग की सिफारिशों से सर्वाधिक लाभान्वित होने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को भी तीव्र विकास करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधान मंत्री ने कल भी यही दोहराया कि पूर्व को अतिरिक्त बढ़ावा की जरूरत है। इसलिए, मैं, बिहार और पश्चिम बंगाल को उसी प्रकार की विशेष सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं जैसी आंध्र प्रदेश सराकर की स्थिति में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जहां तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सम्बन्ध है, सरकार इनके पुनर्गठन के समय इन राज्यों के साथ की गई सभी कानूनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के प्रति कृतसंकल्प है।

मध्याह्न 12.00 बजे

राज्यों को किए जाने वाले अंतरण में भारी वृद्धि ने केंद्र के लिए समान अनुपात में राजकोषीय गुंजाइश में कमी की है, फिर भी हम गरीबों और नव मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, गरीबों और वंचितों के लिए स्कीमों में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। उदाहरणार्थ, मैंने, मध्याह्न भोजन सहित शिक्षा क्षेत्र के लिए 68,968 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 33,152 करोड़ रुपये तथा मनरेगा सहित ग्रामीण विकास कार्यों हेतु 79,526 करोड़ रुपये, आवास और शहरी विकास के लिए 22,407 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल विकास के लिए 10,351 करोड़ रुपये तथा जल संसाधन और नमामि गंगे के लिए 4,173 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। राज्यों द्वारा इन विषयों पर खर्च की गई महत्वपूर्ण राशि के साथ ही इन क्षेत्रों में विकास काफी बढ़ेगा। मैं, राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इन क्षेत्रों में अपने बढ़े हुए संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग करें।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर के मामले में हुई अच्छी प्रगति से प्रसन्न हूं। गुजरात में अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट शेन्द्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क, अब बुनियादी अवसंरचना पर काम शुरू करने की स्थिति में हैं। चालू वर्ष में मैंने 1,200 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि निश्चित की है। तथापि, खर्चों के बढ़ने की स्थिति में, मैं, अतिरिक्त निधियां मुहैया कराऊंगा।

किसी भी अन्य चीज से पहले, मातृभूमि के एक-एक इंच की रक्षा सर्वोपरि है। अभी तक हम, उदास और निरुत्साही बर्ताव के बावजूद, आयात पर ही निर्भर रहे हैं। हमारी सरकार ने पहले ही रक्षा में एफ.डी.आई. की अनुमति दे दी है ताकि भारत नियंत्रित निकाय हमारे लिए ही नहीं, बल्कि निर्यात के लिए भी, रक्षा उपकरणों के विनिर्माता बनें। इस प्रकार हम विमान सहित रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मेक इन इंडिया नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इस महती सभा के सम्मानित सभा के सदस्यों ने देखा होगा कि हमने रक्षा उपकरणों की खरीद से जुड़े मामलों में पारदर्शी और शीघ्र निर्णय लिए हैं ताकि हमारी रक्षा सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस वर्ष भी, मैंने सशस्त्र बलों की जरूरतों के लिए यथेष्ट संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इस वर्ष के अनुमानित व्यय 2015-16 के लिए 2,22,370 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,46,727 करोड़ रुपये है।

यद्यपि भारत में वित्तीय विषयों और अंतरराष्ट्रीय वित्त के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं पर देश की प्रगति के लिए उनकी क्षमता को पूर्णतया प्रतिबिंबित और दोहन करने के लिए भारत में अवसर सीमित हैं। गुजरात में जी.आई.एफ.टी. की परिकल्पना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र के रूप में की गई थी परंतु वास्तव में यह सिंगापुर या दुबई के जैसा ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र बन जाएगा और संयोगवश इसे भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता है। यह प्रस्ताव वर्षों से ऐसा ही है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जी.आई.एफ.टी. का पहला चरण शीघ्र ही वास्तविकता बन जाएगा। यथोचित विनियम मार्च में जारी किए जाएंगे।

सरकार का वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए, विधि आयोग की 253वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर भारत में विभिन्न न्यायालयों में अनन्य वाणिज्यिक प्रभाग गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार इस संबंध में हितधारकों से परामर्श करने के पश्चात् संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार पूर्व में जारी किए गए अध्यादेशों को संसद के अधिनियमों में बदलने के लिए अपेक्षित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करेगी।

बजट अनुमान

मैं अब बजट 2015-16 के बजट अनुमान की ओर आता हूं।

वित्तीय वर्ष के लिए गैर-योजनागत व्यय अनुमान 13,12,200 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। आयोजना व्यय 4,65,277 करोड़ रुपये होना अनुमानित है जो 2014-15 के आर.ई. के बहुत करीब है। तदनुसार, कुल व्यय 17,77,477 करोड़ रुपये अनुमानित है। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा पर व्यय और अन्य आवश्यक व्ययों के लिए जरूरतों हेतु समुचित रूप से व्यवस्था की गई है।

सकल कर प्राप्तियां 14,49,490 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। राज्यों को अंतरण 5,23,958 करोड़ रुपये अनुमानित है। केंद्र सरकार का हिस्सा 9,19,842 करोड़ रुपये होगा। अगले वित्त वर्ष के लिए कर-भिन्न राजस्व 2,21,733 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

उपरोक्त अनुमानों के चलते, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत और राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत होगा।

भाग ख

माननीय अध्यक्ष महोदया, अब में अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

कराधान सामाजिक और आर्थिक ताने बाने का एक साधन है। कर संग्रहण, लोगों को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी, बेरोजगारी तथा मंदगति से विकास संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, आवास तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की मदद करते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विगत नौ महीनों में हमारा यह प्रयास रहा है कि एक स्थायी कराधान नीति और अप्रतिकूल कर-भिन्न प्रशासन को संपोषित किया जाए। हमारे कर प्रशासन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आयाम काले धन की बुराई के विरुद्ध संघर्ष है। इस दिशा में अनेक उपाय किए जा चुके हैं। मैं इस दिशा में और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं।

हमें यह सुनिश्चित करने के लिए विकास और निवेश के पुनरुद्धार की आवश्यकता है कि हमारे युवाओं के लिए और अधिक रोजगार सृजित हों तथा विकास के फायदे हमारे करोड़ों गरीब लोगों को प्राप्त हों। इसके लिए हमें एक समर्थकारी कर नीति की आवश्यकता है। मैं इस महती सदन के पिछले सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित कर चुका हूं। जी.एस.टी. द्वारा हमारे आर्थिक कार्यों के मार्ग में एक युगांतकारी भूमिका निभाने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप एक सामान्य भारतीय बाजार के विकास और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को कम करने से हमारी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा। हम अगले वर्ष से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

हमें अप्रत्यक्ष कराधान में इस युगान्तरकारी विधान को प्रत्यक्ष कराधान में परिवर्तनकारी उपायों के सदृश्य बनाने की आवश्यकता है। भारत में कारपोरेट कर की मूल दर 30 प्रतिशत है। अन्य दूसरी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान दरों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च है, जो हमारे घरेलू उद्योग को अप्रतिस्पर्धी बनाता है। इसके अलावा, कारपोरेट करों का प्रभावी संग्रहण लगभग 23 प्रतिशत है। हम दोनों ही मामलों में हार जाते हैं। हमें एक उच्च कारपोरेट कर व्यवस्था माना जाता है लेकिन अत्यधिक छूट के कारण हमें वह कर नहीं मिलता है। छूटों की प्रणाली से दबाव वाले समूह, मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिला है तथा राजस्व की हानि हुई है। इससे टालने योग्य विवेक की भी गुंजाइश पैदा होती है। अतः, मैं अगले 4 वर्षों में कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे निवेश के उच्चतर स्तर, उच्चतर विकास तथा और अधिक रोजगार का पथ प्रशस्त होगा। … (*व्यवधान*) कर की दरों में कमी लाने की प्रक्रिया के साथ-साथ कारपोरेट करदाताओं के लिए विभिन्न प्रकार की कर छूटों और प्रोत्साहनों को युक्तिसंगत बनाया जाना तथा समाप्त करना भी आवश्यक है, जो संयोगवश बड़ी संख्या में कर विवादों का कारण बनते हैं।

मैं चाहता हूं कि कारपोरेट कर की दर को चरणबद्ध रूप से कम किया जाए तथा छूटों को सही तरीके से कम किया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि इस आशय का अग्रिम नोटिस देना उपयुक्त रहेगा कि ये बदलाव अगले वित्त वर्ष आरम्भ हो जाएंगे। हमारी सुविचारित नीति, कर नीति में औचक आश्चर्यों और अस्थिरता से बचना है। तथापि, वैयक्तिक करदाताओं को छूटों मिलती रहेगी क्योंकि वे बचतों को सुगम बनाते हैं जो निवेश ओर आर्थिक विकास में तब्दील हो जाती हैं।

अपने कर प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करते समय, मैंने कतिपय व्यापक विषय स्वीकार किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) काले धन पर काबू पाने के लिए उपाय;

(ख) विकास और निवेश के पुनरुद्धार और घरेलू विनिर्माण के संवर्धन तथा 'मेक इन इंडिया' के जरिए रोजगार सृजन;

(ग) व्यापार को सुगम बनाने में सुधार लाने के लिए न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम अभिशासन;

(घ) मध्यम वर्ग के करदाताओं को लाभ;

(ङ) स्वच्छ भारत कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाना और

(च) अर्थव्यवस्था के अधिकतम लाभों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे कर प्रस्तावों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ काले धन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है जो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के महत्वपूर्ण अंगों को खा जाता है। गरीबी और असमानता की समस्याओं का तब तक निराकरण नहीं किया जा सकता जब तक कि काले धन के उत्पन्न होने और उसे छिपाने के कृत्य से प्रभावी रूप से और बलपूर्वक निपटा न जाए।

पिछले 9 महीनों में, इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं। अक्टूबर, 2014 में तब एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई जब राजस्व विभाग से एक प्रतिनिधि मंडल ने स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया तथा स्विस अधिकारी (क) आयकर विभाग द्वारा जिन मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है उनके संबंध में सूचना प्रदान करने; (ख) बैंक खातों की वास्तविकता की पुष्टि करने और गैर-बैंकिंग सूचना प्रदान करने और; (ग) ऐसी सूचना समय बद्ध रूप में प्रदान करने; और (घ) दोनों देशों के बीच सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए शीघ्रतिशीघ्र भारत के साथ बातचीत शुरू करने पर सहमत होना। अप्रकटीकृत विदेशी आस्तियों के मामलों में जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिससे पर्याप्त मात्रा में असूचित आय का पता चला है। देश में विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिसमें प्रतिवेदन करने वाले निकायों द्वारा विवरणों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करना शामिल है। इसे आंकड़ों का निर्बाध समेकन और अधिक प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित होगा।

जो धन कानूनी रूप से देश की संपत्ति है उसका पता लगाना और देश में वापस लाना देश के प्रति हमारी सुनिश्चित प्रतिबद्धता है। मौजूदा कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का पालन करते हुए, हमने विदेश में जमा काले धन से विशेष रूप से निपटने के लिए एक व्यापक नया कानून निर्मित करने पर एक सुविचारित निर्णय लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मैं संसद के वर्तमान सत्र में एक विधेयक पुनःस्थापित करना चाहता हूं।

मैं, आपकी अनुमति से काले धन के संबंध में प्रस्तावित नए कानून की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

(1) विदेशी आस्तियों के संबंध में आय और आस्तियों को छिपाना और कर वंचन अभियोजन योग्य होगा तथा इसके लिए 10 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त,

- इस अपराध को अशमनीय बनाया जाएगा;
- अपराधकर्ता को समझौता आयोग तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
- आय और आस्तियों को इस प्रकार छिपाए जाने के लिए कर के 300 प्रतिशत की दर पर शास्ति लगायी जाएगी।

(2) विदेशी आस्तियों के निबंध में रिटर्न जमा न करने या अपर्याप्त प्रकटन सहित रिर्टन जमा करने के लिए अभियोजन चलाया जाएगा और इसके लिए 7 वर्षों तक के कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है।

(3) किसी अप्रकटीकृत विदेशी आस्ति से आय या विदेशी आस्ति से अप्रकटीकृत आय पर अधिकतम सीमांत दर पर कर अधिरोपित किया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि अन्यथा कोई छूट या कटौती लागू होती है तो उसकी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(4) विदेशी आस्तियों के लाभभोगी स्वामी या लाभभोगी व्यक्ति के लिए रिटर्न जमा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, तब भी यदि कोई कर योग्य आय नहीं हो।

(5) उपर्युक्त अपराधों के दुष्प्रेरक पर चाहे वह व्यक्ति, निकाय, बैंक या वित्तीय संस्था हो, अभियोजन चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है।

(6) विदेशी खाते को खोलने की तारीख के संबंध में निर्धारिती द्वारा आय विवरणी में अनिवार्यतः उल्लेख करना अपेक्षित होगा।

(7) किसी विदेशी आस्ति के संबंध में आय छिपाने या करवंचन के अपराध को धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पी.एम.एल.ए.) के अंतर्गत एक स्थापित अपराध बनाया जाएगा। यह उपबंध प्रवर्तन

एजेंसियों को विदेश में धारित बेहिसाबी आस्तियों को कुर्क या जब्त करने तथा काले धन के शोधन में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन 'चलाने की शक्ति प्रदान करेगा।

(8) पी.एम.एल.ए. के अंतर्गत "अपराध के आगम" की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है ताकि यदि किसी मामले में विदेश में स्थित आस्ति की जब्ती नहीं की जा सके तो भारत में समतुल्य आस्ति की कुर्की और जब्ती की जा सकती है।

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है कि यदि कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में भारत से बाहर कोई स्थावर सम्पत्ति धारित है तो उक्त सम्पत्ति के मूल्य के समतुल्य भारत में स्थित किसी सम्पत्ति के संभावित अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। इस उल्लंघन को शास्ति अधिरोपण और पांच वर्ष के कारावास सहित अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा रहा है।

घरेलू काला धन समाप्ति के लिए, एक नया और अधिक व्यापक बेनामी संव्यहार (प्रतिषेध) विधेयक शीघ्र ही संसद के चालू सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। इससे बेनामी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकेगा तथा इसके लिए अभियोग चलाने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी, इस प्रकार, बेनामी सम्पत्ति विशेषकर रीयल एस्टेट के क्षेत्र में, काला धन के अर्जन के मुख्य अवसर और धारण पर रोक लगायी जा सकेगी।

देश में काले धन की समाप्ति के लिए बजट में कुछ अन्य उपायों के प्रस्तावों का भी जिक्र है। वित्त विधेयक में किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद के लिए नकद रूप मेंर 20,000 या इससे अधिक की राशि के संदाय को स्वीकार किए जाने के निषेध के लिए, आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी खरीद या बिक्री के लिए पैन का उल्लेख करना बाध्यकारी किया जा रहा है। थर्ड प्रतिवेदनिंग निकायों द्वारा विदेशी मुद्रा बिक्रियों तथा सीमा पार संव्यवहारों की सूचना दिया जाना भी जरूरी है। उल्लेखनीय संव्यवहारों के विखंडन की जांच के लिए भी उपबंध किया जा रहा है। प्रवर्तन सुधारने की दृष्टि से, सी..बी.डी.टी. और सी.बी.ई.सी. प्रौद्योगिकी का विकास करेगी एक दूसरे से सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष मेरे कराधान प्रस्तावों का दूसरा स्तंभ घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में विकास और निवेश की बहाली और उसके संवर्धन तथा मेक इन इंडिया के माध्यम से नौकरियों का सृजन करना है। इस दिशा में देशी तथा विदेशी दोनों तरह की पूंजी आकर्षित करने के लिए मैं अनेक उपायों का प्रस्ताव करता हूं। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दोनों ही वैकल्पिक निवेश निधियों को टैक्स 'पासथ्रू' की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि इन निधियों में निवेशकों पर कर वसूला जाए। इससे इन निधियों को उच्चतर संसाधन जुटाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा और लघु तथा मझोले उद्यमों, अवसंरचना और सामाजिक परियोजनाओं में अधिक निवेश किया जाएगा, और नए उद्यमों तथा आरंभिक उपक्रमों में अधिक निजी इक्विटी मुहैया कराई जाएगी।

पिछले बजट में उन्हें आंशिक पास-थ्रू देते हुए, रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आर.ई.आई.टी.) और अवसंरचना निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से उपाय किया गया था। विनिर्माण गतिविधियों की बहाली करने के लिए सामूहिक निवेश महत्वपूर्ण है। विभिन्न पूर्ण परियोजनाओं में भारी मात्रा में निधियां अवरुद्ध हैं जिन्हें नई अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू करने को सुसाध्य बनाने के लिए जारी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, आर.ई.आई.टी. तथा इनविट्स इकाइयों की लिस्टिंग के समय पर विद्यमान प्रायोजकों के लिए प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस.टी.टी.) का संदाय करने की शर्त पर पूंजीगत अभिलाभ प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। आर.ई.आई.टी. की निजी आस्ति से भाड़ा अर्जित आय पास-थ्रू सुविधायुक्त होगी।

वर्तमान कराधान संरचना में ऑफशोर लोकेशनों से काम कर रहे निधि प्रबंधकों के लिए प्रोत्साहन अंतर्निहित है। ऐसे अपतटीय निधि प्रबंधकों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मैं स्थायी प्रतिष्ठान (पी.ई.) मानदंडों को इस प्रभाव से संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं कि भारत में केवल एक निधि प्रबंधक की उपस्थिति अपतटीय निधियों के पी.ई. का गठन नहीं करेगी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिकूल कर परिणाम होंगे।

सामान्य अपवंचन निवारक नियमावली (जी.ए.ए.आर.) के कार्यान्वयन का मामला बहस का विषय रहा है। देश में निवेश की भावना अब सकारात्मक हो चली है और हमें इस गति को और तेज करने की जरूरत है। जी.ए.ए.आर. से संबंधित कतिपय विवादास्पद मामले भी हैं जिन्हें सुलझाए जाने की आवश्यकता है। अतः जी.ए.ए.आर. के लागू होने को दो वर्षों तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि जब भी जी.ए.ए.आर. लागू होगा तो वह 01.04.2017 को या उसके बाद किए जाने वाले निवेशों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

आज मैं देखता हूं कि अनेक युवा उद्यमी व्यवसायिक उद्यम चला रहे हैं अथवा नए व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इन्हें नवीनतम प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। इसलिए निम्न लागत पर छोटे व्यवसायों को प्रौद्योगिक अंतर्वाह सुसाध्य बनाने के लिए, मैं तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और शुल्क पर आयकर की दर 25% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव करता हूं।

रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि नए नियमित कर्मकारों के रोजगार हेतु कटौती के लाभ सभी व्यवसाय निकायों को दिया जाए। न्यूनतम 100 नियमित श्रमिकों की पात्रता सीमा को घटाकर पचास किया जा रहा है।

घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया के संवर्धन के संदर्भ में, अप्रत्यक्ष करों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अप्रत्यक्ष करों में, कुछ निविष्टियों, कच्चे माल, मध्यवर्तियों और सभी 22 मदों के संघटकों पर बुनियादी सीमाशुल्क की दर घटाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि शुल्क व्युत्क्रम को न्यनूतम किया जा सके और अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण लागत घटाई जा सके। एस.ए.डी. लगाने के कारण कुछ अन्य परिवर्तन सेनवैट क्रेडिट संग्रहण की समस्या का समाधान कर देंगे। मैं सभी वस्तुओं को पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं, आबादी वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्डों को छोड़कर, उदासी से आबद्ध वस्तुओं के निर्माण में उपयोग के लिए और वास्तविक उपयोगकर्ता की स्थिति के अधीन कुछ अन्य इनपुट और कच्चे माल के आयात पर दुख को कम

करने का प्रस्ताव करता हूं। इन परिवर्तनों का विवरण बजट भाषण में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया था।

मेरा अगला प्रस्ताव बिजनेस करने को सहज बनाने पर ध्यान देते हुए न्यूनतम शासन और अधिकतम अभिशासन तथा कर राजस्व पर समझौता किए बगैर कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। देश में कुल संपत्ति कर संग्रह 2013-14 में 1,008 करोड़ रुपये था। क्या कोई कर जिसके संग्रहण में अधिक लागत लगती हो और लाभ कम होता हो उसे जारी रखा जाए या इसे निम्न लागत और उच्च प्राप्ति वाले कर से बदल दिया जाए? धनी व्यक्तियों को, कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में, अधिक कर देना चाहिए। इसलिए मैंने धन कर समाप्त करने और 1 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की कर योग्य आय वाले बढ़े धनवानों पर 2% अतिरिक्त अधिभार से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे कर सरलीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और विभाग को कर अनुपालन और कराधार बढ़ाना सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने में समर्थ बनाएगा। 1,008 करोड़ रुपये के कर त्याग देने के एवज में, इन उपायों के जरिए विभाग को 2% अतिरिक्त प्रभार से लगभग 9,000 करोड़ रुपये का संग्रहण होगा। इसके अतिरिक्त, व्यष्टियों और कंपनियों द्वारा धारित धन का पता लगाने के लिए, आस्तियों के बारे में सूचना, जो धन कर विवरणी में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है, को आयकर विवरणियों में ले लिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संपत्ति कर के उन्मूलन से कर के दायरे से कोई भी आय नहीं बचेगी।

आयकर अधिनियम में अप्रत्यक्ष अंतरण संबंधी उपबंध जो पिछली सरकारों की देन है, में अनेक अस्पष्टताएं हैं। इस उपबंध को समुचित रूप से संशोधित किया जा रहा है। इसके अलावा, विदेशी कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश के लिए अप्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में चिंताओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एक स्पष्टीकरण परिपत्र के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। ये परिवर्तन शक्तियों के विवेकशील प्रयोग की संभावना समाप्त करेंगे और करदाताओं को अवरोध मुक्त ढांचा उपलब्ध कराएंगे। मैं वही दोहराता हूं जो मैंने पिछले बजट में कहा था कि आमतौर पर पूर्वव्यापी कर प्रावधान कराधान व्यवस्था की स्थिरता और पूर्वानुमान पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और ऐसे प्रावधानों का सहारा लेने से बचा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, छोटे करदाताओं से जुड़ी दिक्कतों और घरेलू अंतरण मूल्य निर्धारण में अनुपालन लागत कम करने के लिए, मैं आरंभिक सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकार 20 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

एफ.आई.आई. के लिए एम.ए.टी. प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने के लिए, प्रतिभूतियों में लेनदेन पर पूंजीगत लाभ से उनकी आय के अनुरूप लाभ जो कम दर पर कर के लिए उत्तरदायी हैं, एम.ए.टी. के अधीन नहीं होंगे।

कर प्रशासन सुधार आयोग ने कर विभागों में प्रशासनिक सुधार के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें जांच के अंतिम स्तर पर हैं और इस वर्ष के दौरान उपयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएंगी।

वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में किए गए सुधारों के भाग के रूप में, मैं शिक्षा उप-कर और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उप-कर को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रभावी रूप से, उपकरों सहित केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 12.36% की सामान्य दर को 12.5% के समतुल्य पूर्णांकित की जा रही है। मैं कुछ अन्य वस्तुओं में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विशिष्ट दरों को संशोधित करने का भी प्रस्ताव करता हूं, जैसा कि तालिका में दिए गए अनुबंध में बताया गया है। तथापि, पेट्रोल और डीजल के मामले में, ऐसी विशिष्ट दरों का, वर्तमान में, उन पर उग्रहित शिक्षा उपकर की मात्रा तक शामिल करने के लिए संशोधन किया जा रहा है ताकि उत्पाद शुल्कों के कुल प्रभाव में कोई परिवर्तन न हो। 12% से कम उत्पाद शुल्क की यथामूल्य दरों और कुछ अपवादों के साथ 12% से उच्चतर दरों में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। सिगरेट पर उत्पाद शुल्क लगाने और पान मसाला, गुटखा और अन्य कतिपय तम्बाकू उत्पादों पर प्रवृत्त मिश्रित उत्पाद शुल्क स्कीम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।

घरेलू चमड़ा फुटवियर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चमड़े से बने ऊपरी भाग वाले फुटवियरों और जिनका खुदरा मूल्य रुपये 1000 प्रति जोड़ी से अधिक है पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6% किया जा रहा है।

व्यवसाय करने को और अधिक सहज करने के लिए, ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पंजीकरण दो कार्यदिवसों में किया जाएगा। इन करों के अधीन निर्धारिती डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए इनवायसेज को जारी करने और इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखने की अनुमति होगी। इन उपायों से कागजी काम और लालफीताशाही में कमी आएगी। निविष्टियों और निविष्टि सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट लेने की समय सीमा छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष की जा रही है। यह भी व्यवसाय सहजता का एक उपाय है।

कारोबार और उद्योग से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने की काफी उत्सुकता है। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा सेवाओं पर कर उद्ग्रहण के सुचारू अंतरण को सहज बनाने के लिए, सेवा कर और शिक्षा उप-कर की 12.36 प्रतिशत की वर्तमान दर में वृद्धि करके 14% की समेकित दर करने का प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, घरों की साफ-सफाई और स्वच्छ पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। इसलिए इस वर्ष, मेरे कराधान प्रस्तावों का चौथा आधार स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रमों से संबंधित है। मैंने, अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाले अंशदानों को छोड़कर स्वच्छ भारत कोष में दिए जाने वाले अंशदानों के लिए 100% कटौती का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार का कर उपाय स्वच्छ गंगा निधि के लिए भी प्रस्तावित है।

अप्रत्यक्ष करों में, स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए कोयला, आदि के प्रति मीट्रिक टन पर स्वच्छ ऊर्जा उप-कर 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपयेकरने का प्रस्ताव करता हूं। औद्योगिक प्रयोग को छोड़कर एथिलिन के पालिमरों के बोरों और बस्तों पर उत्पाद शुल्क 12% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होती है, तो सभी अथवा कतिपय सेवाओं पर 2% अथवा इससे कम दर पर स्वच्छ भारत उप-कर लगाने के लिए समर्थकारी प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह उप-कर अधिसूचित होने की तारीख से प्रभावी होगा। इस उप-कर से सृजित संसाधनों का उपयोग स्वच्छ भारत के वित्तपोषण और संवर्द्धन कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

सामान्य जल-मल व्ययन उपचार संयंत्रों की सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का भी प्रस्ताव है। विद्युत से परिचालित वाहनों और हाईब्रिड वाहनों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कलपुर्जों पर वर्तमान में उपलब्ध सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट, और एक वर्ष बढ़ाकर, 31.3.2016 तक की जा रही है।

इस वर्ष मेरे कराधान प्रस्तावों का पांचवा स्तंभ है मध्यमवर्गीय करदाताओं को लाभ प्रदान करना। इस संबंध में प्रस्ताव निम्नवत् हैं:

- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये से 25,000 रुपये करना। यह हमारे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लोगों को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। इससे टैक्स में छूट भी मिलेगी।
  - वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा मौजूदा 20,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये होगी।
  - 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के बहुत वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं; उनके उपचार पर किए गए व्यय के लिए 30,000 रुपये की कटौती की अनुमति होगी। हर वरिष्ठ नागरिक को तीस हजार रुपये का सालाना डिडक्शन मैडिकल ट्रीटमैन्ट का मिलेगा।
- बहुत वरिष्ठ नागरिकों के मामले में गंभीर प्रकृति की विनिर्दिष्ट बीमारी के कारण होने वाले व्यय के लिए 60,000 रुपये की कटौती सीमा बढ़ाकर 80,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
- आय कर अधिनियम की धारा 80घघ और धारा 80प के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती की अनुमति होगी।
- पेंशन निधि और नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव है।

- यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। व्यष्टियों को सामाजिक सुरक्षा नेट, और पेंशन की सुविधा मुहैया कराने के लिए, धारा 80गगघ के तहत नई पेंशन योजना में अंशदान के लिए अतिरिक्त 50,000 रुपये की कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव है इससे भारत पेंशन रहित समाज के बजाय पेंशनभोगी समाज बन सकेगा। यह भारत को पेंशन रहित समाज के बजाय पेंशन प्राप्त समाज बनने में सक्षम बनाएगा। अपने जीवन के आर्निंग काल में जो भी पेंशन फंड का पचास हजार रुपये तक सालाना देगा, उसको टैक्स की उस वर्ष की छूट मिलेगी, ताकि आगे जाकर वरिष्ठ आयु में उसकी पेंशन बन सके।
- हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गईसुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश पहले से ही धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र है। लाभार्थियों को जमा पर ब्याज भुगतान सहित सभी भुगतान भी पूरी तरह से छूट दी जाएगी।
- परिवहन भत्ता छूट को 800 रुपये से बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है।
- वरिष्ठ नागरिकों के फायदे के लिए वरिष्ठ बीमा योजना पर कर छूट दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद, व्यष्टि करदाताओं को रियायत दे रहा हूं। पिछले बजट और इस बजट में मध्यम वर्गीय करदाताओं को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए, आज वैवक्तिक कर दाता को 4,44,200 रुपये का कर लाभ उपलब्ध कराया गया है, जैसाकि अनुबंध में देखा जा सकता है। जैसे ही मेरी वित्तीय क्षमता सुधरेगी, व्यष्टि करदाताओं को और भी बहुत कुछ दिया जाएगा। जब भी मेरी राजकोषीय क्षमता में सुधार होगा, व्यक्तिगत करदाताओं को बहुत कुछ देखने को मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कराधान से संबंधित अनेक विशिष्ट प्रस्ताव हैं। सड़क और अन्य अवसंरचना में निवेश का वित्तपोषण करने के लिए 4 रुपये प्रति लीटर की सीमा तक लगने वाले विद्यमान उत्पाद शुल्क को सड़क उपकर में परिवर्तित करना शामिल है। ये विषय जो कल यहां पर उठे थे कि दुनिया में तेल की कीमतों में कमी हुई है, जो उपभोक्ता को भी दिया है, उसमें से कुछ लाभ हाईवे कंस्ट्रक्शंस के लिए और रेलवेज़ के लिए

भी उसका प्रयोग होगा। इन सेक्टरों के लिए इस उपाय के जरिए 40,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सेवा कर में, फलों और सब्जियों के संबंध में कतिपय प्रशीतनपूर्व भण्डारण सेवाओं को छूट दी जा रही है ताकि इस महत्वपूर्ण सेक्टर में मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया जा सके। सेवा कर के तहत नकारात्मक सूची में थोड़ी कटौती की जा रही है और कर आधार को व्यापक बनाने के लिए कुछ अन्य छूटों को वापस लिया जा रहा है।

योग भारत का विश्व को एक बहुत बड़िया तोहफा है। आय कर अधिनियम की धारा 2(15) के तहत धर्मार्थ प्रयोजन के दायरे में योग को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बहुत से वास्तविक धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही समस्या को कम करने के लिए, व्यापार, वाणिज्य या कारोबार प्रकृति के क्रियाकलापों से होने वाली प्राप्तियों पर अधिकतम सीमा संशोधित करके 25 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से कुल प्राप्तियां 20% करने का प्रस्ताव है। गैर-लाभकारी संगठनों का एक नेशनल डेटा आधार भी विकसित किया जा रहा है।

कुछ समय से प्रत्यक्ष कर संहिता के अधिनियमन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रत्यक्ष कर संहिता के कुछेक पहलुओं में, जिन्हें छोड़ दिया गया था उनके बारे में हमने वर्तमान बजट में कुछ मुद्दों का समाधान किया है। डी.टी.सी. के बहुत कम पहलू जो छूट गए थे, उनमें से हमने वर्तमान बजट में कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त, आय कर अधिनियम के अधीन विधि शास्त्र को सुविकसित किया गया है। इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रत्यक्ष कर संहिता जैसाकि आज मौजूद है, इसे आगे बढ़ाने में कोई खास फायदा नहीं होगा।

महोदया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध और सभा पटल पर रखे गए अन्य बजट दस्तावेजों में दिया गया है। मेरे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 8,315 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी जबकि अप्रत्यक्ष करों में प्रस्तावों से 23,383 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो सकती है। मेरे सभी कर प्रस्तावों का शुद्ध प्रभाव 15,068 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा।

निष्कर्ष

अपनी बात समाप्त करते हुए महोदया, मैं कहूंगा कि यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इस बजट से उम्मीदें बहुत अधिक रही हैं। जो लोग हमसे बड़े सुधार करने का आग्रह करते हैं, वे भी कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक दिग्गज है, जो धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से चलती है। यहां तक कि हमारे सबसे बुरे आलोचक भी स्वीकार करेंगे कि हम तेजी से आगे बढ़े हैं। इस भाषण में, मैंने स्पष्ट रूप से न केवल हम तुरंत क्या करने जा रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक रोडमैप भी निर्धारित किया है।

मुझे लगता है कि मैं वास्तव में हमारी सरकार के लिए बौद्धिक ईमानदारी का दावा कर सकता हूं। हमने जो कहा है और जो कर रहे हैं, उसमें हम सुसंगत रहे हैं। हम सत्ता में आए, हम इस बदलाव, विकास, नौकरियों और मौलिकता, गरीब और वंचित तबकों के कारगर उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। "*दरिद्र नारायण*" के प्रति हमारी वचनबद्धता अक्षुण्ण है, जो जाति, पंथ या धर्म को ध्यान में रखे बिना समता और सबके लिए न्याय की हमारी संवैधानिक वचनबद्धता है। यह उपनिषद के इस मंत्र की भावना के अनुरूप है:

ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे सन्तु निरामया,

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

मा कश्चिद दुखः भाग भवेत।

ओम शांति शांति शांति

(*ओम*! सभी सुखी हों

सभी निरोग हों,

सभी देखें कि क्या फायदेमंद है,

कभी किसी को कोई दुख-शोक न हो,

इन्ही शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।

अपराह्न 12.34 बजे

अनुमानित प्राप्तियां और व्यय के बारे में विवरण

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

———————

<u>अपराह्न 12.34 ½ बजे</u>

(एक) वृहद-आर्थिक रूपरेखा;
(दो) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति; और
(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण [2*]

माननीय अध्यक्ष: मद सं2 - माननीय मंत्री।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अधीन निम्नलिखित वक्तव्यों को सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) वृहत आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(दो) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(तीन) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण

---

[2] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.1844/16/15

<u>अपराह्न 12.35 बजे</u>

वित्त विधेयक, 2015[*3]

माननीय अध्यक्ष: अब, वित्त विधेयक पेश किया जाना है।

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
>
> *प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित**[4] करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: वित्त विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया गया है।

---

[3]* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 28.02.2015 में प्रकाशित।

[4]** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर: स्थापित।

अपराह्न 12.36 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय अध्यक्ष: कई माननीय सदस्यों ने मांग की है कि होली के कारण गुरुवार, 5 मार्च, 2015 को निर्धारित बैठक रद्द कर दी जाए। सबने निवेदन किया था कि 5 तारीख को सिटिंग नहीं हो। आप सबका निवेदन स्वीकृत करते हुए मैं अनाउंस कर रही हूँ कि 5 मार्च को जो हाउस की सिटिंग थी, उसे कैन्सिल कर दिया जाता है।

सभा सोमवार, 2 मार्च, 2015 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 मार्च, 2015 / 11 फाल्गुन, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए *स्थगित हुई।*

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित